



भारतीय स्टेट बैंक

प्रपत्र सं० 60

{नियम 114 बी का तीसरा प्रावधान देखें}

घोषणा प्रपत्र, जो ऐसे व्यक्ति द्वारा दाखिल किया जाएगा, जिसके पास न तो स्थायी लेखा संख्या है और न ही सामान्य इंडेक्स पंजीकरण संख्या तथा जो नियम 114 बी के (क) से (ज) खंडों में निर्दिष्ट सौदों के बारे में नकद भुगतान करता है।

1. घोषणाकर्ता का पूरा नाम व पता
2. सौदे का विवरण खाता सं०
3. सौदे की राशि
4. क्या आपका कर निर्धारण होता है ?
5. यदि हाँ, हाँ/नहीं
(i) वार्ड/सर्किल/रेंज का ब्यौर, जहाँ अंतिम आय रिटर्न दाखिल की गई थी ?
(ii) स्थायी लेखा संख्या/सामान्य इंडेक्स पंजीकरण संख्या न होने के कारण ?
6. कालम (1) में पते की पुष्टि में प्रस्तुत किए जाने वाला दस्तावेज

सत्यापन

मैं, एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार उपरोक्त सही है।

आज 20 के महीने की तिथि को सत्यापित तिथि

स्थान घोषणाकर्ता के हस्ताक्षर

अनुदेश पते की पुष्टि में प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज

(क) राशन कार्ड

(ख) पासपोर्ट

(ग) वाहन चालक लाइसेंस

(घ) किसी संस्थान द्वारा जारी घोषणा पत्र

(ङ) घर का पता दर्शाने वाले बिजली या टेलीफोन बिल की प्रति

(च) घर का पता दर्शाने वाला केन्द्र सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय निकाय के प्राधिकारियों द्वारा जारी कोई दस्तावेज या पत्र

(छ) अन्य कोई दस्तावेजों सबूत जो घोषणा में दिए उनके पते की पुष्टि करता हो।